कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक 1970/R-1/15 दिनांक: 18/05/15

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड द्वितीय
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0
33/11 के0वी0, उपकेन्द्र (पटेल पार्क)
निरालानगर, लखनऊ

विषय:- रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 32/वि0न0वि0खं0-द्वि/लेसा दिनांक 23.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 1003/आर-1/15 दिनांक 26.03.2015 द्वारा रू0 7327480.00 का प्रोफार्मा बिल संलग्न कर प्रेषित किया गया था। उक्त प्रोफार्मा बिल के सापेक्ष आप द्वारा धनराशि रू0 2197044.00 का चेक/डी0डी0 सं0 502453 दिनांक 10.04.2015 एवं रू0 1464696.00 का चेक/डी0डी0 सं0 502486 दिनांक 08.05.2015 उपलबध कराया गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपको कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0 93कैम्प-प्र0अभि0 (विकास)/07-विविध दिनांक 22.02.2007 के अनुसार एवं सहायक अभियन्ता की निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर रोड कटिंग की अनुमति तालिका में उल्लिखित मार्ग पर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	मार्ग का नाम	कटिंग स्थल/चैनेज	खुदाई का क्षेत्रफल	कटिंग सतह का प्रकार
1.	पी0एस0एच0एल0 मार्ग।	किमी0 261 से 266	3950 वर्ग मी0 1602 वर्ग मी0	कच्चा बी0सी0

1. रोड कटिंग लेपित सतह के किनारे से अधिकतम दूरी फुटपाथ/कच्चे भाग पर किया जाये, यदि सम्भव हो तो सड़क के किनारे पर ही किया जाये।
2. केबिल/पाईप लाईन डालने से पहले उसके नीचे सीमेन्ट कंक्रीट या हार्ड स्ट्रेटा डाला जाये ताकि पाईप लाईन के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना कम हो तथा भविष्य में मरम्मत हेतु रोड कटिंग से बचा जा सके। उक्त कार्य से पूर्व उक्त कार्य की ड्राइंग एवं सेक्शन तथा गहराई सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अनुमोदन कराने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग को सूचित करना होगा।
3. रोड कटिंग के समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कटिंग एजेन्सी की होगी।
4. कटिंग एरिया (क्षेत्रफल) अधिक होने पर उसका अतिरिक्त भुगतान करने के पश्चात ही रोड काटने दिया जायेगा।
5. रोड कटिंग करते समय यातायात के सुगम संचालन हेतु आवश्यक साईन बोर्ड, काशन बोर्ड, बैरियर एवं रात्रि के समय लाल व हरी बत्ती लगाने के बाद ही रोड कटिंग की जाये।
6. अनुमति पत्र रोड काटने के समय कटिंग एजेन्सी अपने साथ रखेगी ताकि आवश्यकता के समय माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।
7. जब कभी विभाग को मार्ग चौडीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/पाईप लाईन आदि डालने वाले विभाग/कम्पनी फर्म को उक्त केबिल/पाईप लाईन आदि अपने खर्चे पर हटाकर पूर्व स्थिति में विभाग को उक्त स्थल उपलब्ध कराना होगा।
8. फर्म द्वारा पाईप लाईन कम से कम 1.50 मीटर गहराई में डाली जायेगी।
9. प्रश्नगत रोड कटिंग से सम्बन्धित यदि किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता हो तो यह आवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी, जिसका विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. उक्त रोड कटिंग के कारण यदि किसी सर्विस लाईन/केबिल आदि की क्षति होती है अथवा उस कारण भविष्य में मार्ग को कोई भी क्षति पहुँचती है तो उसकी मरम्मत का सम्पूर्ण हर्जाना सम्बन्धित विभाग को स्वयं वहन करना होगा।
11. रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबिल/पाइप लाईन डालने वाले अन्य विभागों से आपसी सम्न्वय स्थापित करने के पश्चात ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे कि मार्ग पर पूर्व से पडी केबिल/पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना न हो।
12. रोड कटिंग का कार्य अनुमति जारी होने की तारीख से 20 दिन के अन्दर ही कराना होगा। उसके बाद यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक दिनांक:

1 प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ को उनसे हुई मौखिक वार्ता के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, (पंचम), प्रां0ख0, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

F:\R.K.Pathak\J.E.T\2014-15\Road Cutting AnumatiAgency